(वाद संख्या–5506/17)

23.01.2020

चार परिवादीगण, लक्ष्मेश्वर लाल देव, अमरजीत लालदेव, राकेश लाल देव व रामलेखा देवी की ओर से एक परिवादी, लक्ष्मेश्वर लाल देव अपने अधिवक्ता के साथ, उपस्थित हैं।

सुना।

प्रसंगाधीन मामला, वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु बिहार सरकार के गृह (विशेष) विभाग के ज्ञापांक–2705, दिनांक–23.11.2001 द्वारा निर्गत नीति निर्धारण में उल्लेखित प्रावधानों का लाभ उपरोक्त चारों परिवादियों को नहीं दिये जाने से संबंधित है।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य सरकार की उपरोक्त पुनर्वास नीति में वैसे वामपंथी उग्रवादी, जिन्होंने वगैर आग्नेयास्त्र के आत्मसमर्पण किया है, वित्तीय लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी लक्ष्मेश्वर लाल देव ने दिनांक–08.11.2003 को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जबकि शेष तीन परिवादीगण ने दिनांक–'08.11.2008 को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तथा उक्त चारो के आत्मसमर्पण को स्वीकार करते हुए नियमानुसार दस–दस हजार रुपये का तत्काल वित्तीय लाभ दिया गया था।

गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु नीति निर्धारण विषयक् संकल्प के कंडिका–2(1) में प्रत्यर्पण हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु सरकारी योजना वैसे वामपंथी उग्रवादियों के लिए लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है तथा जिन्होंने आग्नेयास्त्र के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया है।

आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु सरकारी नीति निर्धारण की दूसरी पात्रता यह है कि **सरकारी योजना वैसे उग्रवादियों के लिए भी लागू होगी, जिनका थाना अभिलेखों में आपराधिक इतिहास तो नहीं है, परन्तु उग्रवादी संगठन में वे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं उनके आत्मसमर्पण करने से उग्रवादी संगठन को निश्चित रूप से आघात लगेगा। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिला के आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा एवं केन्द्रीय आसूचना ब्यूरों से आसूचना एवं सुपुष्टि प्राप्त होने पर कि संबंधित व्यक्ति प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में उच्चस्थ पर पर स्थापित हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।**

परिवादीगण का कथन है कि परिवादी सं0–1. लक्ष्मेश्वर लाल देव, माओवादी संगठन के एरिया कमाण्डर थे जबकि परिवादी सं0–2. रामलेखा देवी, माओवादियों के महिला संगठन की अध्यक्ष थीं, जबकि परिवादी सं0–3 अमरजीत लाल देव, माओवादियों के बाल विकास संगठन के अध्यक्ष थे, जबकि परिवादी सं0–4राकेश लाल देव माओवादी संगठन के संयुक्त सचिव थे।

परिवादीगण का यह भी कथन है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–987, दिनांक–30.03.2016 के साथ तीस वगैर आग्नेयास्त्र के आत्मसमर्पण करनेवालों की सूची के क्रमांक–4. योगेन्द्र राय 5. नारायण राम 6. मुनचुन राय व 7. उपेन्द्र सहनी में उल्लेखित उग्रवादियों को उपरोक्त कथित संकल्प में उल्लिखित नीतियों का लाभ दिया गया, जबकि उसी सूची के क्रमांक–10,18,19 व 20 में उल्लेखित परिवादीगण को उसका लाभ नहीं दिया गया है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न कर दिनांक–22.04.2020 के पूर्व तक जिला पदाधिकारी, दरभंगा से इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की जाय कि **क्या परिवादीगण उपरोक्त कथित संकल्प के कंडिका2(1) (2) के शर्त्तों के आधार पर पुनर्वास हेतु पात्रता रखते हैं या नहीं? साथ ही साथ उनसे इस संबंध में भी प्रतिवेदन की मांग की जाय कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के**

पत्रांक–987, दिनांक–30.03.2016 के द्वारा बिना आग्नेयास्त्र के समर्पण करनेवाले उग्रवादियों की सूची में से किस आधार पर चार उग्रवादियों का योजना का लाभ दिया गया, जबकि समान आधार पर परिवादीगण को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया।

आज परिवादीगण की ओर से एक परिवादी, लक्ष्मेश्वर लाल देव एवं परिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में अलग से नोटिस निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–27.04.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक